Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

वीरेन्द्र कुमार मिश्राा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा अपील (सूचना का अधिकार) नं0 **008** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.01.2024	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी वीरेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी 197 थाना के सामने वार्ड नंबर 10 इंदिरा कॉलोनी भाभानगर रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) पिन- 323305 (मोबाईल नंबर 91665 75493) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में अवगत कराया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत **लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़** को आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2023 प्रेषित किया गया है। इस पर अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/208 दिनांक 21.12.2023 से अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2023 जो कि लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 20.12.2023 को प्राप्त हुआ जिसे निस्तारित किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अपीलार्थी की और से प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन/परीक्षण किया गया। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अन्तर्गत धारा 6(1) में प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 18.12.2023 के संबंध में जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/ लोसूअ/2023/208 दिनांक 21.12.2023 अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2023 का निस्तारण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत विहित समयावधि में निस्तारित किया गया है। यह तथ्य अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के प्रमाणित पाया जाता है। हमने अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 18.12.2023 को गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन/परीक्षण किया। हमने अपीलार्थी के आवेदन-पत्र दिनांक 18.12.2023 एवं अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित पत्र दिनांक 21.12.2023 को गहनता पूर्वक परिशीलन किया। तथ्यों का चित्त मन से शांतिपूर्वक चिंतन-मनन किया। हमने सूचना का अधिकर अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण,	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है। हस्तगत अपील में अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 18.12.2023 के बिन्दु संख्या 1 के संबंध में निस्तारित किया गया है तथा बिन्दु संख्या 2 व 3 के संबंध में अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़ को विहित समायवधि में अंतरित किया गया है जो कि अधिनियम के विधिक प्रावधानों के तहत किया गया है। इसके साथ अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मेमों में लोक सूचना अधिकारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़ से आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2023 के बिन्दु संख्या 2 व 3 के संबंध में प्राप्त सूचना का तथ्य उठाया गया है इस संबंध में हमारा ठोस अभिमत है कि इस प्रथम अपीलीय प्राधिकरण को **लोक सूचना अधिकारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़** द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(1) तहत प्राप्त आवेदनों की प्रथम अपील की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो दिनांक 24.01.2024 में आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2023 के बिन्दु संख्या 2 व 3 के संबंध में अपील अपीलार्थी क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होना पाये जाने से एडमिशन स्तर पर ही निस्तारित की जाती है इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2023 के बिन्दु संख्या 1 के संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित पाया जाता है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन-पत्र दिनांक 18.12.2023 के संबंध में किये गये निस्तारण दिनांक 21.12.2023 में किसी भी प्रकार से कोई वैधानिक त्रुटि किया जाना कारित नहीं होता है एवं हम अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन-पत्र दिनांक 18.12.2023 के संबंध में की गई कार्यवाही से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी एडमिशन स्तर पर ही सारहीन होना पाई जाती है। अतः अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 18.12.2023 के बिन्दु संख्या 1 के संबंध अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम को एडमिशन स्तर पर ही निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं बिन्दु संख्या 2 व 3 में अपीलार्थी को सक्षम प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2023 के बिन्दु संख्या 2 व 3 के बाबत् प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये जाते है। अतः अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 18.12.2023 के संबंध अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम को एडमिशन स्तर पर निस्तारित किया जाता है। अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर तद्नुसार अभिलेख में अंकन किया जावें। अहकाम की प्रतिलिपि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/D- (आलोक रंजन) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 31.01.2024 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	